



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:जविप्रा/उपा./जोन-12/2022/डी-1620

दिनांक 29-6-2022


श्री मोहन लाल, श्री राम निवास पुत्रान श्री लक्ष्मी नारायण
एवम् श्री लाल चन्द एवं श्री सीताराम पुत्रान श्री जगदीशनारायण
निवासी पृथ्वीसिंहपुरा उर्फ नाईवाला, जयपुर राज0 व श्री जगदीश नारायण उर्फ जगदीश प्रसाद शर्मा,
श्री रामेश्वर लाल उर्फ रामेश्वर, श्री सत्यनारायण शर्मा,
श्री सुरजमल शर्मा पुत्रान् चुन्नीलाल, राकेश कुमार पुत्र रूप नारायण
निवासी पृथ्वीसिंहपुरा उर्फ नाईवाला राजस्थान व श्री राकेश कुमार शर्मा पुत्र श्री रूप नारायण
निवासी पृथ्वीसिंहपुरा उर्फ नाईवाला, जयपुर राज0
जरिये मुख्यारनामा-आम आर्यन लैण्डमार्क डवलपर्स एल.एल.पी.
जरिये अधिकृत साझेदार श्री रामचंदर यादव व आर्यन लैण्डमार्क डवलपर्स एल.एल.पी.
पंजीकृत कार्यालय 2सी, स्वरूप कॉलोनी, डी.सी.एम. अजमेर रोड, जयपुर
जरिये अधिकृत साझेदार श्री रामचंदर यादव पुत्र श्री हरसहाय यादव जाति अहीर
निवासी यादव फार्म हाउस रामचन्द्रपुरा अजमेर रोड, जयपुरं



विषय :- ग्राम पृथ्वीसिंहपुरा उर्फ नाईवाला तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 590/179, 592/180, 181, 182, 183, 185, 186, 186/487, 187, 197, 201, 202, 203, 146/536, 593/147, 595/176, 597/177, 178, 128, 140/519, 141/520, 141, 140, 142, 143, 144, 599/131, 132, 601/133, 603/134 कुल किता 30 रकबा 10.00 हैक्ट. भूमि पर प्रस्तावित आवासीय योजना " यदुराज ऑक्सीजन एकर्स " का मानचित्र जारी करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत के क्रम में आप द्वारा प्रस्तुत ग्राम पृथ्वीसिंहपुरा उर्फ नाईवाला तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 590/179, 592/180, 181, 182, 183, 185, 186, 186/487, 187, 197, 201, 202, 203, 146/536, 593/147, 595/176, 597/177, 178, 128, 140/519, 141/520, 141, 140, 142, 143, 144, 599/131, 132, 601/133, 603/134 कुल किता 30 रकबा 10.00 हैक्ट. भूमि पर प्रस्तावित आवासीय योजना " यदुराज ऑक्सीजन एकर्स " आवासीय योजना का मानचित्र अनुमोदन बीपीसी (एलपी) की 317वीं बैठक दिनांक 13.5.2022 को किया चुका है। जिन भूखण्डों को जविप्रा में अनुमोदित योजना के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के पेटे जविप्रा के पक्ष में रहन रखा गया है, उन भूखण्डों का विक्रय विकासकर्ता द्वारा उक्त सम्पूर्ण योजना के आन्तरिक विकासकार्य पूर्ण होने पर तथा रहन मुक्त कराने पर ही किया जावेगा। अनुमोदित मानचित्र की प्रति पत्र के साथ सलंगन है।

सलंगन :- उपरोक्तानुसार


उपरोक्त समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण,
उपायुक्त जोन-12
जयपुर
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर